सरयू राय

झारखण्ड सरकार

मंत्री
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड सरकार।

पत्रांक-2672/मं०खा०,
दिनांक 03/07/19.

माननीय मुख्यमंत्री,

राज्य के त्वरित सर्वांगीण विकास के लिये राज्य की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़, पारदर्शी एवं जिम्मेदार बनाने के संदर्भ में विगत 6 जनवरी 2016 को कतिपय सुझाव मैने तत्कालीन मुख्य सचिव को एक पत्र (पत्रांक–16/मंत्री को०) के माध्यम से दिया था (प्रति संलग्न). ये सुझाव सांकेतिक थे और वर्तमान राज्य सरकार के आरम्भिक एक वर्ष के राजकीय वित्तीय प्रबंधन के अनुभव के आधार पर इस उम्मीद के साथ दिये गये थे कि सरकार इनपर विचार करेगी और अपने कार्यकाल के आगामी चार वर्षों में राज्य को समावेशी विकास की दिशा में गतिमान करने के लिये जनहित और राज्यहित में ठोस प्राथमिकतायें निर्धारित करेगी, योजनाओं का गतिशील सूत्रण करेगी, संसाधनों का संवर्धन करेगी और "उतना पैर पसारिये जितनी लम्बी खाट" की उक्ति के अनुरुप आय एवं व्यय का बजटीय अनुशीलन करेगी.

इसके कुछ ही दिन बाद तत्कालीन मुख्य सचिव केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गये. बाद के दो मुख्य सचिवों ने राजकीय वित्त व्यवस्था के सुदृढ़ प्रबंधन हेतु योजना और बजट के संबंध में राजस्व एवं पूँजीगत आय–व्यय की सीमा–मर्यादा के प्रति संतुलन का भाव रखने में कोई दिलचस्पी नही दिखाया. एक ने राज्य के वित्तीय संसाधन का कतिपय प्रक्षेत्रों में कपटपूर्ण उपबंध किया, दुरूपयोग किया और दूसरे ने इस पर लगाम लगाने का प्रयत्न नही किया. नतीजा हुआ कि इस अवधि में राज्य का वित्त प्रबंधन बेपटरी हो गया. कार्य विभागों की वित्तीय कार्यप्रणाली निरंकुश हो गई. परियोजनाओं के प्राक्कलन, पुनरीक्षित प्राक्कलन और वास्तविक व्यय का अंतर्संबंध भ्रष्ट आचरण का शिकार हो गया. वित्तीय कुप्रबंध का प्रतिकुल प्रभाव संसाधन संग्रह पर पडा. राज्य की आय और बजट का व्यय असंतुलित हो गया. वित्तीय वर्ष विशेष के लिये निर्धारित वार्षिक योजनात्मक बजट अनुमान

कार्यालय : झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची। आवास : 1, ए.जी. मोड़ डोरण्डा, राँची।
दूरभाष : 0651–2401023, फैक्स : 0651–2402455, मो. : 9431114466
ई.मेल : saryuroyoffice@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

प्रति वर्ष भारी कटौती का शिकार होते गया. विगत चार वर्षों में वित्तीय अनुशासन तार तार हो गया.

विगत दो वर्षों में तो राज्य की वित्तीय स्थिति घोर चिंताजनक हो गई है. बजटीय उपबंध मे ऋणात्मक पुनरीक्षण किये जाने के बावजूद अनुमानित वित्तीय संसाधन का जुगाड़ नही होने से पुनरीक्षित बजटीय उपबंध में भी कटौती करनी पड़ी है. आवंटन के अनुरुप व्यय संभव नही हो पा रहा है. राज्य की अर्थव्यवस्था केन्द्र नियंत्रित बाजार ऋण पर निर्भर हो गई है. राजकोष पर देनदारियों का बोझ बढते जा रहा है. विकास कार्यों के विरूद्ध समर्पित व्यय विपत्रों के राजकोष से भुगतान की स्थिति असंतुलित एवं अविश्वसनीय हो गयी है. वृहत् योजनाओं के करीब 7,000 करोड़ रूपया से अधिक के विपत्र भुगतान की प्रत्याशा में लंबित हैं. इसका प्रतिकुल प्रभाव राज्य की वित्तीय स्थिति पर पड़ा है. राज्य की वित्तीय स्थिति चरमरा गई है. राज्य के पी० एल० एकाउंट मे जमा निधि का आकार बेतहाशा बढा है. विगत दो वित्तीय वर्षों मे प्रति वर्ष योजना व्यय का करीब 23,000 करोड़ रूपया वर्षांत में पीएल खाता में जमा दिखाया जाता रहा है. भुगतान में इस खाता की राशि की प्राथमिकता होने के बावजूद इसमें जमा और इससे भुगतान का अनुपात काफी कम रहा है.

रिजर्व बैंक के दैनिक आँकड़े गवाह हैं कि इन वित्तीय वर्षों में अधिकांश समय राज्य की संचित निधि रिजर्व बैंक के "वेज एंड मिन्स अग्रिम" की परिधि लाँघकर ओवरड्राफ्ट की कगार पर पहुँचती रही है. राज्य के वित्त प्रबंधन के लिये जिम्मेदार प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा इससे निपटने के लिये अक्सर आवश्यक भुगतान स्थगित किये जाते रहे हैं. इस वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में तो अधिकांश दिवस कोषागार के कम्प्यूटर सिस्टम में सर्वर हैंग हो जाने का संकट बताकर भुगतान टाले जाते रहे हैं. राज्य के कोषागार सरकार के स्पष्ट निर्देश के अंतर्गत कार्यरत रहे हैं कि वित्त सचिव के निर्देश के बगैर विपत्रों का भुगतान नही होगा. नतीजतन विकास योजनाओं, कल्याण योजनाओं, अल्पवेतन भोगी एवं संविदा कर्मियों के मद में खर्च होने वाली राशि वित्तीय वर्ष के अंत में व्ययगत हो गई. इसका कारण है कि राज्य सरकार का वित्त प्रबंधन तदर्थ निर्णयों एवं निर्देशों का मोहताज हो गया है. हर महीना के अंत में वेतन भुगतान भर राशि राजकोष में

Scanned with OKEN Scanner

अवशेष रहे इसकी चिंता में वित्त विभाग को डूबे रहना पड़ता है. झारखंड सदृश संसाधन संपन्न राज्य के समावेशी विकास के लिये यह असामान्य स्थिति है.

यह स्थिति घोर चिंताजनक है. इससे उबरने का प्रयास समय की माँग है. राज्य की वित्त व्यवस्था को तदर्थ निर्णयों का अनुगामी नही बनने देना चाहिये. राज्य की संचित निधि से होने वाले विविध व्यय को प्राथमिकताओं के अधीन अनुशासित एवं मर्यादित रखने के उद्देश्य से प्राधिकृत समिति का प्रावधान किया गया है. योजना व्यय के अनुशीलन में इस समिति की महती भूमिका निर्धारित की गई है. परंतु विगत वर्षों में यह समिति कारगर नही साबित हो पा रही है. प्राथमिकताओं मे तदर्थ एवं अकारण परिवर्तन से इसके निर्णय अक्सर प्रभावित होते रहते हैं.

इस बीच दिसंबर 2017 में योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत एक 'राजकोषीय प्रबंधन संस्थान' का गठन किया गया. इसकी सूचना तत्कालीन विकास आयुक्त ने 4 अक्टूबर 2017 के मेरे एक पत्र में दिये गये सुझावों के संदर्भ में दिनांक 6 दिसंबर 2017 को मुझे दिया. इस संस्थान के गठन का उद्देश्य भी पूरा नही हो रहा है. यह संस्थान नाम भर का रह गया है. इसकी भूमिका राज्य सरकार के लिये बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा तैयार करने तक सीमित कर दी गई है. इसके अतिरिक्त विगत चार वर्षों में सर्वश्री सुरजीत भल्ला, टी० नंदकुमार, अनिल स्वरुप सदृश कतिपय अनुभवी व्यक्तियों की सेवायें राज्य सरकार ने लिया तो अवश्य पर इनमें से कोई भी यहाँ टिक नही सका. इसके पूर्व डॉ विवेक देबराय की सेवायें भी झारखंड सरकार ने लिया था. इन्होने एक सारयुक्त विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन भी सौंपा था जिसकी खोज–खबर लेना मुनासिब नही समझा गया. इसके कारणों की पड़ताल आवश्यक है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों और कैसे उत्पन्न हुई.

सरकार के आय–व्यय की सतत समीक्षा के लिये, समावेशी विकास की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिये, राज्य की वित्तीय क्षमता के संवर्धन के लिये, बजटीय उपबंधों के संतुलित एवं सार्थक उपयोग के लिये, राज्य की संपूर्ण संसाधन क्षमता के आलोक में वर्तमान और भविष्य की विकास नीति के सूत्रण एवं क्रियान्वयन के लिये, बजटीय व्यय से सृजित भौतिक परिसम्पत्तियों के सदुपयोग के लिये, अनुपयोगी व्यय पर अंकुश लगाने के

Scanned with OKEN Scanner

लिये और वित्तीय कार्य संस्कृति में पारदर्शिता के लिये जिस प्रकार की संस्थात्मक व्यवस्था होनी चाहिये उसका घोर अभाव सरकार में प्रतीत हो रहा है. इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं देने से वित्तीय संसाधनों का अपव्यय होने और भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयत्नों में भ्रष्ट आचरण का समावेश होने की गुंजाईश बन जाती है जिसकी परिणति अंततः संगीन घपलों–घोटालों में होती है. इससे विकास की गति बाधक होती है. राज्य विकास विकलांगता का शिकार बनता है और सरकार की छवि मलिन होती है.

उपर्युक्त विवरण राज्य के वित्त एवं योजना प्रबंधन की वर्तमान स्थिति के चिंताजनक पहलुओं की ओर संकेत भर है. करीब साढ़े तीन वर्ष पूर्व उपर उल्लिखित पत्र में मैंने जिन बिन्दुओं की ओर इशारा किया था उनकी प्रासंगिकता आज भी पूर्ववत है. राज्यहित और व्यापक जनहित में राज्य की वित्त व्यवस्था को पटरी पर लाने का संस्थागत प्रयास होना चाहिये.

ह०/–
सरयू राय

प्रतिलिपि – 1. मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार।
2. वित्त सचिव, झारखण्ड सरकार।

3.7.2019
सरयू राय

Scanned with OKEN Scanner